

दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय
की प्रक्रिया

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमज़ोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाएँ छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्हीं में से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाएँ आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांक: 1.1.2012


(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

परिचय

कानून व्यक्ति को केवल उसके कर्तव्य या अधिकारों से ही नहीं अवगत कराता है बल्कि अधिकार तथा कर्तव्यों को किस प्रकार लागू किया जाए उसकी प्रक्रिया भी समझाता है। कानून की इस शाखा को “कानून की प्रक्रिया” के नाम से जाना जाता है। यह कानून लागू करने से संबंधित हर मुद्दे पर रोशनी डालती है। दीवानी तथा फौजदारी मामलों के लिए अलग—अलग प्रक्रिया है।

यहाँ पर हम दीवानी प्रक्रिया की बात करेंगे। दीवानी प्रक्रिया दीवानी अधिकार तथा कर्तव्यों को लागू करने से संबंध रखती है, यह सजा की प्रक्रिया से भिन्न है। भारत में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में वर्णित है।

दीवानी प्रक्रिया संहिता भारी तथा जटिल किताब लगती है परन्तु हकीकत में बहुत सरल है। एक आम पढ़नेवाले के लिए यह मुश्किल हो सकती है। इसका कारण यह भी माना जा सकता है कि संहिता दो भागों में बँटी हुई है। संहिता के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य दो सैक्षण (धाराओं) में है। जो तफसील वाले मुद्दे हैं वह पहली सूचि में है जो पाठों में विभाजित है जिन्हें “आर्डर” कहा जाता है। हर आर्डर के अन्दर कई नियम होते हैं। विभाजन के कारण ही पाठक का एक मुद्दे पर दोनों भागों का पढ़ना है।

दीवानी वाद का दायर किया जाना

दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार कोई भी दीवानी वाद सर्वप्रथम उस कनिष्ठत में दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिये जो उस वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार रखता हो। चूंकि दीवानी वाद के सफल संचालन के लिए कुछ कानूनी तकनीकियों का समझना आवश्यक है अतः जन-सामान्य की जानकारी के लिए कुछ विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है:-

दीवानी वाद की प्रक्रिया -

दीवानी वाद प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:-

1 - जिस व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है उसे वादी कहते हैं। और जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर होता है उसे प्रतिवादी कहते हैं, दोनों व्यक्तियों को उस वाद से संबंधित पक्षकार या फरीकैन कहा जाता है।

2 - यह तय कर लिया जाना आवश्यक है कि किन-किन व्यक्तियों को मिलकर मुकदमा दायर करना है अर्थात् किन-किन व्यक्तियों को मुकदमें का वादी बनाया जाना है।

3 - इसी प्रकार मुकदमें की प्रकृति को देखते हुये यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है। अर्थात् उस मुकदमें में किन्हें प्रतिवादी बनाया जा सकता है। यहां पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति उस मुकदमें से संबंधित हो अर्थात् जिसे प्रतिवादी न बनाये जाने पर वह मुकदमा चल नहीं सकता है अथवा जिस किसी के विरुद्ध न्यायालय से कोई राहत मांगी जा रही है ऐसे व्यक्ति को उस मुकदमें में प्रतिवादी बनाया जाना अति आवश्यक है।

4 - मुकदमें में जो जो दावे (क्लेम) संभव हैं वह समस्त दावे मागे जाने चाहिये क्योंकि अगर कोई क्लेम छूट गया है और मुकदमा निर्णित हो चुका है तो उसके पश्चात अलग से उस क्लेम के लिए पुनः दावा दायर नहीं हो सकता।

5 - अगर वादी अपना दावा किसी दस्तावेज के आधार पर करता है तो उस दस्तावेज की मूल प्रति भी मुकदमे के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परन्तु अगर काई दस्तावेज मुकदमा दायर करते समय वादी के पास नहीं है अथवा वह दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति या स्रोत के माध्यम से प्रस्तुत करना है तो ऐसी दस्तावेज का हवाला दावे के साथ संलग्न किये जा रहे दस्तावेजों की सूची में अवश्य दिया जाना चाहिये।

दावा सुनने की न्यायिक प्रक्रिया -

1 - दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में सन् 1999 के संशोधन द्वारा धारा 89 एवं आदेश 10 नियम - 1 अ जोड़ा गया है, जिसके अनुसार यह व्यवस्था दी गयी है कि जहाँ पर न्यायालय को यह आभाष होता है कि उभयपक्षों में समझौता होने की कोई सम्भावना है और समझौते के माध्यम से उभयपक्षों के बाद का निस्तारण किया जा सकता है तो इस आशय की टिप्पणी न्यायालय द्वारा की जायेगी और न्यायालय द्वारा सुलह समझौते का प्रयास कराया जायेगा। इसके लिये उभयपक्षों के बयान अंकित करते हुए समझौते की संभावनायें तलाशी जायेंगी और यदि न्यायालय को यह आभाष होता है कि समझौते के माध्यम से समझौता हो सकता है तो न्यायालय से बाहर मामले के निस्तारण हेतु उसे मध्यस्थ सुलह समझौता न्यायिक प्रक्रिया या लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने हेतु भेज कर सकता है।

2 - दावे के संबंध में जो वाद न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे वाद पत्र कहते हैं। जैसे ही वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय का अधिकारी (मुन्सरिम) अपनी आख्या के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करता है, जिस पर न्यायालय द्वारा उसे पंजीकृत किये जाने का आदेश एवं दूसरे पक्षकार को सम्मन जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है। जब दूसरे पक्षकार पर सम्पन्न तामील हो जाता है और वह पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर वादी को वाद पत्र का उत्तर प्रस्तुत करता है तो उसे लिखित कथन या तवाबदावा कहा जाता है।

3 - सामान्यतया सम्मन जनपद न्यायालय में कार्यरत नजारत के किसी आदेश वाहक के माध्यम से भेजा जाता है। अगर सम्मन दूसरा पक्षकार लेता है और उसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होता अथवा सम्मन लेने से इंकार करता है और आदेशवाहक ऐसी आख्या न्यायालय के सम्मुख

प्रस्तुत करता है तो न्यायालय द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवायी प्रारम्भ कर दी जाती है।

4 - अगर दूसरे पक्षकार पर सम्मन तामील नहीं हो पाता तो स्थिति में न्यायालय उसे पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाने का आदेश दे सकता है और डाक भेजे जाने के बाद एक माह तक अगर दूसरा पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कोई उतर नहीं देता है अथवा उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा यह माना जा सकता है कि वह सम्मन संबंधित प्रतिवादी को मिल चुका है और तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवायी प्रारम्भ की जा सकती है।

5 - अगर रिजस्टर्ड डाक से भेजा गया सम्मन वापिस किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस सम्मन को न्यायालय के आदेश पर और वादी के व्यय पर उसे किसी समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जा सकता है जो कि उस क्षेत्र में प्रचलित हो जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, व्यापार करता है अथवा सामान्यता रह रहा है। ऐसे समाचार पत्र जिसका प्रसार पूरे प्रदेश में अथवा पूरे देश में होता है, उसमें प्रकाशन के माध्यम से सम्मन भेजे जाने की सर्वोत्तम विधि मानी जानी चाहिये। यहाँ यह बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी आवश्यक है कि कभी भी न्यायालय का सम्मन प्राप्त होने पर उसे लेने से इन्कार नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसी स्थिति में न्यायालय एक तरफा कार्यवाही अथवा एकपक्षीय सुनवायी का आदेश दे सकता है बल्कि सम्मन लेकर उचित जवाब नोटिस प्राप्त होने से 30 दिन में प्रस्तुत करना चाहिये।

यदि वादी ने प्रतिवादी को वाद पत्र तथा दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ तुरन्त उपलब्ध नहीं करवायी हैं तो उन्हें न्यायालय से आग्रह करके प्राप्त किया जा सकता है।

जब प्रतिवादी का जवाब दावा प्राप्त हो जाता है तो विवाद के जो मुख्य बिन्दु होते हैं उनको छाँट कर वाद बिन्दु बनाये जाते हैं जिन्हें तनकीह भी कहते हैं।

वादी एवं प्रतिवादी को उसके पश्चात् कागजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है जब उभय पक्षकार अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो वादी द्वारा प्रतिवादी के दस्तावेजों को एवं प्रतिवादी द्वारा वादी के दस्तावेजों को या तो स्वीकार करना पड़ता है या इन्कार करना पड़ता है। अगर दस्तावेजों को दूसरे पक्षकार ने इन्कार कर दिया है तो ऐसी स्थिति

में जिस पक्षकार ने उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है उसे सिद्ध करना पड़ता है।

पहले वादी एवं उसके बाद प्रतिवादी को अपने अपने गवाह प्रस्तुत करने होते हैं। संबंधित पक्षकार को दूसरे पक्षकार के गवाहों से जिरह करने को मौका दिया जाता है। यह कार्यवाही कोई भी पक्षकार स्वयं या अपने अधिवक्ता के मायथम से करवा सकता है।

इस बीच यदि वादी बिना किसी कारण के गैर हाजिर जो जाता है तो उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाता है और यदि प्रतिवादी गैर हाजिर हो जाता है तो वाद पर एक पक्षीय सुनवायी करके निर्णय दे दिया जाता है।

अगर मुकदमा वादी की गैर हाजिरी में खारिज हो गया है वो वादी मुकदमें को पुनः स्थापित करने के लिये न्यायालय में अर्जी दे सकता है। इसी प्रकार अगर मुकदमें में प्रतिवादी की गैर हाजिरी के कारण एक तरफा सुनवायी का आदेश दिया गया है तो उसे निरस्त करने के लिए प्रतिवादी न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकता है परन्तु न्यायालय का यह दायित्व है कि ऐसी अर्जी पर यह गैर करें कि क्या संबंधित पक्षकार के गैर हाजिर होने का कोई समुचित आधार था? अगर ऐसा आधार नहीं पाया जाता है तो न्यायालय उस अर्जी को खारिज कर सकता है।

गवाहों को सम्मन -

वाद बिन्दु अथवा तनकीह बनाये जाने के पश्चात् मुकदमें में गवाही शुरू होती है जिसके लिये दोनों पक्षों को अपनी गवाही पेश करने का बराबर अवसर दिया जाता है। गवाही पेश करने से पहले गवाहों की सूची न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है तथा न्यायालय के आदेशानुसार गवाहों को खर्चा एवं सम्मन भेजने के लिए शुल्क (तलबाना) भी पहले जमा किया जाना होता है। पक्षकार स्वयं भी गवाहों को अदालत में पेश कर सकते हैं। सम्मन की तामील होने के बाद निर्धारित तिथि पर गवाहों को बयान देने के लिये न्यायालय में अवश्य उपस्थित हो जाना चाहिये अन्यथा न्यायालय द्वारा उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है अथवा उन्हें जमानती या गैर जमानती वारण्ट द्वारा न्यायालय में तलब किया जा सकता है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों का बयान गवाहों के बयानों से पहले ही ले लिया जाता है।

दीवानी वादों का क्षेत्राधिकार -

दीवानी मुकदमा उस स्थान पर सबसे निचली एवं सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना होता है जहाँ उस मुकदमे से संबंधित भूमि सम्पत्ति उसका संबंधित भाग या विषय मौजूद हों अथवा जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है अथवा कोई कारोबार करता है।

अपील -

सिविल जज (जू०डी०) या (सी०डी०) के निर्णय के विरुद्ध अधिकतम 30 दिन के अन्दर जिला अदालत में अपील किया जाना होता है और जिला जज के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिन के अन्दर अपील या निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है।

निगरानी -

न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किये जाने का प्राविधान न हो अथवा अपील न की गयी हो, उस उच्चतर न्यायालय में उस निर्णय की निगरानी किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे उस मुकदमे से संबंधित अपील की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके लिये भी समय सीमा जिला जज की अदालत के मामले में 30 दिन तथा उच्च न्यायालय के मामले में 90 दिन निर्धारित की गयी है।

सरकार के विरुद्ध दावा -

यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध दावा दायर करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम दावा दायर करने के विषय में सरकार को नोटिस देना पड़ता है जिसे धारा 80 का नोटिस कहते हैं इस नोटिस में दावा दायर करने वाले व्यक्ति को अपना दावा एवं अपनी पीड़ा का पूरा विवरण देना चाहिये। यह नोटिस सरकार को इस विषय के लिये नियत अधिकारी के ही माध्यम से दिया जा सकता है जो निम्न प्रकार है -

1 - यदि दावा भारत सरकार के विरुद्ध करना हो तो संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से नोटिस देना चाहिये।

2 - यदि दावा रेलवे के विरुद्ध हो तो नोटिस संबंधित मण्डल के जनरल मैनेजर के माध्यम से देना चाहिये।

3 - यदि दावा हरियाणा सरकार के विरुद्ध करना हो तो नोटिस संबंधित विभाग के सचिव अथवा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिया जाना चाहिये।

अगर वादी समक्ष ऐसी विपन्नता आ गयी हो जिसके कारण नोटिस दिये जाने की स्थिति में उसके दावे का उद्देश्य ही समाप्त हो जाने का भय है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय से सरकार को बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा सकती है। वहाँ यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि अगर किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध उसके कार्यालय क्षमता के आधार पर दावा प्रस्तुत करना है तो सरकार को प्रतिवादी अवश्य बनाना चाहिये।

नाबालिंगों की ओर से अथवा उनके विरुद्ध दीवानी वाद -

भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कोई भी नाबालिंग किसी भी प्रकार का समझौता अथवा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही स्वयं करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि किसी नाबालिंग की ओर से दावा किया जाना है तो उसे उसके मित्र (next friend) के माध्यम से प्रस्तुत कराना पड़ेगा परन्तु यह मित्र वही हो सकता है जिसका नाबालिंग के विरुद्ध कोई दावा न हो अथवा उसके हित नाबालिंग के विरुद्ध न हो। यह भी आवश्यक है कि वह मित्र नाबालिंग के हित के लिये ही दावा करने के लिए तत्पर रहे। इसी प्रकार यदि किसी दावे में किसी नाबालिंग को प्रतिवादी बनाया जा रहा है तो उसके हित को संरक्षित रखने के लिये अदालत संरक्षक नियुक्त कर सकती है। इसके लिये वादी को न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के साथ ही साथ यह प्रार्थना-पत्र भी देना होगा कि नाबालिंग प्रतिवादी के लिये संरक्षक नियुक्त किया जाय। अगर न्यायालय को वाद की कार्यवाही के दौरान किसी स्तर पर यह मालूम हो जाये कि कोई भी मित्र अथवा संरक्षक नाबालिंग के हित में सही प्रकार की पैरवी नहीं कर रहा है तो न्यायालय को स्वयं उस मित्र या संरक्षक को हटा देने का अथवा उसके स्थान पर नवनियुक्त का अधिकार सुरक्षित है।

पक्षकार की मृत्यु -

अपील या निगरानी या अन्य किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अगर किसी प्रतिवादी या विपक्षी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के ज्ञान से 90 दिन के अन्दर वादी को मृतक प्रतिवादी या विपक्षी के उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी के रूप में मृतक प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये। अगर वादी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को स्वयं प्रार्थना पत्र देना होगा। ऐसा न करने पर किसी भी कार्यवाही के अभाव में वाद, अपील या निगरानी समाप्त (Abate) हो जायेगा। किसी पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् अगर कोई पक्ष सम्पति की प्रकृति को बदलने की कोशिश करना चाहता है तो पीड़ित पक्षकार उसे रोकने के लिये निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार को यही भी चाहिये कि वह न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कोई आयुक्त नियुक्त करने का निवेदन कर दें ताकि आयुक्त मौके पर जाकर नक्शा बनाकर अपनी आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दें और यह स्पष्ट हो सके कि प्रारम्भिक स्तर पर विवादित की प्रकृति क्या थी और उसमें किस सीमा तक परिवर्तन किया जा चुका है।

निर्णय से पूर्व प्रतिवादी/विपक्षी की सम्पति की कुर्की का आदेश -

न्यायालय में चल रहे वाद के दौरान अगर विपक्षी द्वारा अपनी चल अथवा अचल सम्पति को इस दुर्भावना से बेचा जा रहा है कि न्यायालय में चल रहे वाद में उसके विरुद्ध डिक्री की सन्तुष्टि न हो सके अथवा अदालत द्वारा दिया गया निर्णय निष्प्रभावी हो जाये अथवा विपक्षी अपनी चल सम्पति को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा देना चाहता है ताकि न्यायालय का भावी आदेश निष्प्रभावी हो जाये तो ऐसी स्थिति में वादी शपथ पूर्वक न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि प्रतिवादी को निषेधाज्ञा के माध्यम से ऐसा करने से रोक दिया जाये फिर भी यदि न्यायालय यह समझे कि निषेधाज्ञा जारी करने पर भी विवादित सम्पति की सुरक्षा नहीं हो सकती तो न्यायालय उक्त सम्पति की मालियत के बराबर प्रतिपूर्ति न्यायालय में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित कर सकता है अथवा न्यायालय उक्त सम्पति को अगले आदेश तक कुर्क भी करा सकता है जो कि डिक्री को सन्तुष्ट करने के लिये पर्याप्त हो। अतः वादी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रतिवादी की सम्पति का पूर्ण विवरण तथा मालियत अदालत के समक्ष पेश करे जिसे वह कुर्क कराने हेतु आवेदन कर रहा है। **यह निःशुल्क विधिक सहायता निर्धन**

व्यक्तियों के इलावा अन्य बहुत सी श्रेणियों को दी जाती है, जिसकी सूची अन्त में दी गई है (सूची 'क')।

निर्धन द्वारा वाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया -

यदि कोई व्यक्ति अति निर्धन है तथा वह न्यायालय में दावा करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। अर्थात् वह कोर्ट फीस नहीं दे सकता तो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन वाद चलने के बाद तथा निर्णय होने से पहले यदि ऐसा व्यक्ति कोई हित प्राप्त करता है तो उसका हिसाब भी अदालत में विचारण होगा। उपरोक्त परिस्थिति में दावा चलने की आज्ञा देने से पहले न्यायालय वादी की सम्पत्ति एवं साधन के विषय में अपनी तसल्ली के लिये जांच करवा सकता है और यदि वादी को निर्धन पाया जाता है तो उसका दावा पंजीकृत कर लिया जायेगा और आम विवादों की तरह न्यायालय में चलेगा जिसके लिये वादी को न्यायिक शुल्क अदा करने की छूट दे दी जायेगी यदि वादी अपने वाद में सफल हो जाता है तो न्यायालय कोर्ट फीस का आंकलन करायेगी तथा उसकी धनराशि विपक्षी अथवा प्रतिवादी द्वारा सरकार को देय होगी परन्तु यदि वादी का दावा असफल हो जाता है तो उसके न्यायशुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार को ही करनी होगी।

निःशुल्क विधिक सहायता -

जन सामान्य को परिचित कराने के उद्देश्य से यह सूचित किया जाना आवश्यक है कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा इसके अन्तर्गत कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप-मण्डल विधिक सेवा समितियां ऐसे निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करा रही है जिनकी वार्षिक आय 1,00,000/- से अधिक न हो। निःशुल्क विधिक सेवाओं के अन्तर्गत न्यायालय में होने वाले समस्त खर्चों को प्राधिकरण की ओर से वहन किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र है उसे निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा एवं अन्य अनुसांगिक वाद व्यय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

डिक्री की इजराय -

यदि प्रतिवादी या विपक्षी न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश या डिक्री को मानने से इन्कार करता है तो पीड़ित पक्षकार न्यायालय के उक्त आदेश एवं डिक्री के निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है तो

न्यायालय द्वारा उसकी सम्पति कुर्क करायी जा सकती है तथा रूपये अदा न करने पर उसकी गिरफ्तारी तक करायी जा सकती है यदि विपक्षी से कोई मकान खाली कराना है या तामीर गिराना है तो न्यायालय द्वारा न्यायालय के अधिकारियों तथा पुलिस की सहायता से उस सम्पति का कब्जा डिक्री धारक को दिलाया जा सकता है तथा तामीर ध्वस्त कराये जाने के लिये न्यायालय आदेशित कर सकता है।

सूची ‘क’

- प्रार्थी की सलाना आय 1,00,000/- रूपये से कम हो, अथवा
- प्रार्थी पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति में से हो, अथवा
- प्रार्थी महिलाएं एवं बच्चे हैं, अथवा
- प्रार्थी न्यायिक हिरासत में है, या मानसिक रोगी हैं, या अपंग व्यक्ति हैं, अथवा
- प्रार्थी औद्यौगिक कर्मकार है, अथवा
- प्रार्थी देह व्यापार से पीड़ित एवं प्रार्थी बेगार से पीड़ित हैं, अथवा
- प्रार्थी स्वतन्त्रता सैनानी या आश्रित हैं, अथवा
- प्रार्थी सामूहिक विनाश जैसे कि बाढ़ भूकम्प से पीड़ित हो, अथवा
- किसी भी व्यक्ति को जनहित याचिका केस में, अथवा
- प्रार्थी दंगा पीड़ित या उसके आश्रित हैं, या प्रार्थी उग्रवाद पीड़ित या उसके आश्रित हैं।
- प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक हो, अथवा
- प्रार्थी हिजड़ा समुदाय से सम्बन्ध रखता हो।